न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–39/2021

प्रार्थी:–

भगाराम उर्फ भगवानाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी

1. दानाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
   नारायणराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. पोलाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
3. वीराराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. सांवलराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. मांगाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति चौधरी निवासी बोरडीनाडी पटवार हल्का कुम्पावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थी संख्या 1**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28/06/21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण एक ही परिवार से एवं आपस मे रिश्तेदार है जिनकी संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा बोरडीनाडी पटवार मण्डल कुम्पावास खसरा संख्या 141,264/20,265/20 व 266/20 रकबा क्रमशः 1.8616,3.8283, 0.7608 व 1.4892 हैक्टयर व सरहद मौजा कुम्पावास में खेत खसरा संख्या 117,359/109, व 361/109 रकबा 18.1623,6.0703 व 2.8328 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में गणेशाराम के हक हिस्से की खातेदारी भूमि हो[illegible] की फौतगी उपरांत फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय प्रार्थी का ना[illegible]कारे जाने वाले नाम से भगाराम नाम राजस्व रेक[illegible] दर्ज कर दिया [illegible]। प्रार्थी की शैक्षणिक एंव अन्य सरकारी रेकर्ड यथा [illegible] भामाशाह का[illegible]कार्ड, राशनकार्ड, इत्यादि में भगवानाराम [illegible] जिससे प्रार्थी को अ[illegible]दारी खेतो की भूमि में भगाराम नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं भगाराम एंव भगवानाराम नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:35 IST
Reason: SelfAttested

उप[illegible]धिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । विप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 के बयान कलमबंद्व किया गयां

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर भगाराम पुत्र गणेशाराम के स्थान पर भगवाराम पुत्र गणेशाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड, भामशाह कार्ड,बैंक खाता व शैक्षणिक दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र गणेशाराम अंकित है । विप्रार्थी संख्या 1 ने भी अपने बयानों में बताया है कि गणेशाराम के फौतदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा घर में बोले जाने वाले नाम भगाराम के नाम से प्रार्थी का नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय एवं शैक्षणिक व विप्रार्थी संख्या 1 के बयानो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बोरडीनाडी पटवार मण्डल कुम्पावास खसरा संख्या 141,264/20,265/20 व 266/20 रकबा क्रमशः 1.8616,3.8283, 0.7608 व 1.4892 हैक्टयर व सरहद मौजा कुम्पावास में खेत खसरा संख्या 117,359/109, व 361/109 रकबा 18.1623,6.0703 व 2.8328 हैक्टयर में अंकित अशुद्ध नाम "भगाराम पुत्र गणेशाराम के स्थान पर "भगवानाराम पुत्र गणेशाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28/06/21.......को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:35 IST
Reason: SelfAttested